

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

(प्रकरण क्रमांक FPM/PMWATER/156031/2022)

जी नहीं।

सहमत है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।		जी नहीं।																																																																																																				
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।																																																																																																				
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के अंतर्गत वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र कर्धुआ एवं चितरंगी में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु वनमण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है। <table><tr><th>जिला</th><th>वनमण्डल</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>सिंगरौली</td><td>सिंगरौली</td><td>कर्धुआ</td><td>P.F. 837</td><td>0.029</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 840</td><td>0.1329</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 841</td><td>0.045</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 845</td><td>0.1966</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 847</td><td>0.2673</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 873</td><td>0.054</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 874</td><td>0.059</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 875</td><td>0.1094</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 880</td><td>0.0435</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.F. 881</td><td>0.0462</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 862</td><td>0.1285</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 16</td><td>0.005</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 19</td><td>0.0966</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 795</td><td>0.0313</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 796</td><td>0.0425</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 802</td><td>0.01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 848</td><td>0.2368</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R.F. 864</td><td>0.17</td></tr></table>	जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा	1	2	3	4	5	सिंगरौली	सिंगरौली	कर्धुआ	P.F. 837	0.029				P.F. 840	0.1329				P.F. 841	0.045				P.F. 845	0.1966				P.F. 847	0.2673				P.F. 873	0.054				P.F. 874	0.059				P.F. 875	0.1094				P.F. 880	0.0435				P.F. 881	0.0462				R.F. 862	0.1285				R.F. 16	0.005				R.F. 19	0.0966				R.F. 795	0.0313				R.F. 796	0.0425				R.F. 802	0.01				R.F. 848	0.2368				R.F. 864	0.17	
जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा																																																																																																			
1	2	3	4	5																																																																																																			
सिंगरौली	सिंगरौली	कर्धुआ	P.F. 837	0.029																																																																																																			
			P.F. 840	0.1329																																																																																																			
			P.F. 841	0.045																																																																																																			
			P.F. 845	0.1966																																																																																																			
			P.F. 847	0.2673																																																																																																			
			P.F. 873	0.054																																																																																																			
			P.F. 874	0.059																																																																																																			
			P.F. 875	0.1094																																																																																																			
			P.F. 880	0.0435																																																																																																			
			P.F. 881	0.0462																																																																																																			
			R.F. 862	0.1285																																																																																																			
			R.F. 16	0.005																																																																																																			
			R.F. 19	0.0966																																																																																																			
			R.F. 795	0.0313																																																																																																			
			R.F. 796	0.0425																																																																																																			
			R.F. 802	0.01																																																																																																			
			R.F. 848	0.2368																																																																																																			
			R.F. 864	0.17																																																																																																			

	R.F. 866	0.4145
	R.F. 867	0.0827
	R.F. 868	0.1231
	R.F. 870	0.12
	R.F. 871	0.1146
	R.F. 38	0.0232
	R.F. 43	0.0157
	R.F. 44	0.0255
	R.F. 12	0.0355
योग :-		2.658

वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 16, 19, 796, 802, 38, 43, 44, 12 एवं पी.एफ. 837 वनमण्डल की कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वनमण्डल की कार्यआयोजना में हाथी कारीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।

(अ.) 2.47 (9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य किससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे, स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैंप की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किए जावेंगे।

(ब.) 2.47 (10) कारीडोर में स्थित कक्षों को यथासम्भव गैरवानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यम्भावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जाये।

कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 2.658 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। परन्तु अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है।

वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी बैढ़न - 2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 2.658 हे. वनभूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

सीवा वृत्त सीवा (म.प्र.)